न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 03/2018 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00003

उनवान

सीमा देवी पत्नी दीवान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम नगला तेरहिया माफी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. अजय सिंह
2. समय सिंह } पुत्रगण मान सिंह
3. संजय सिंह
4. मान सिंह } पुत्रगण श्यामलाल
5. भरत सिंह
6. करोटी वेवा श्यामलाल

जाति जाट निवासी ग्राम नगला तेरहिया माफी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 24.05.2017 उनवानी अजय सिंह बनाम मान सिंह वगै0 मु0न0 63/16

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री अशोक कुमार सिंघल अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 22.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 04 संख्या 06 इस आशय का पेश किया

कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 14 कुल रकवा 29.15 बीघा वाके ग्राम नगला बीजा तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 06 की स्वःअर्जित आराजी नहीं है बल्कि पुरखों की पुश्तैनी आराजी है। अर्थात वादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 के बाबा स्वः श्यामलाल की छोडी हुई आराजी है। वादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 के पिता कर्ताखानदान होने के कारण विवादित आराजीयात में उनके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो रहे है। वादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 के पिता को नशे आदि करने की आदत है। अतः वह विवादित आराजीयात को विक्रय करने पर तुले हुये हैं। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 06 भी वादीगण से रंजीश रखते हैं एवं उन्होनें वादीगण के खातेदारी अधिकारो को मानने से इन्कार कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 04 के नौशनल शेयर तक पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के तहत यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। वक्त बहस, बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजीयात में से कुछ अंश तत्कालीन खातेदार काश्तकार श्रीमती कटोरी रैस्पो0 संख्या 06 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2015 एवं 09.06.2015 से क्रय कर लिये थे फिर भी अपीलाण्ट को जानबूझकर पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा आपस में साज कर अपीलाण्ट को विक्रय करने के पश्चात् किया है जिससे अभी तक अपीलाण्ट का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विक्रय पत्र आज तक कायम है उसे रैस्पो0 द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बरान 538/6.06 के 1/12 हिस्सा 452/4.02, 568/2.00 के 1/6 हिस्सा की हद तक अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पक्षकारो के बीच अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना के आधार पर दावे में होगा। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम केवल प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिंदुओं की ओर ही गौर करना है। पत्रावली में उपलब्ध विक्रय पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

538/6.06 के 1/12 हिस्सा को व खसरा नम्बर 452/4.02, 568/2.00 के 1/6 हिस्सा को विवादित भूमि के तत्कालीन खातेदार काश्तकार श्रीमती कटोरी रैस्पो0 संख्या 06 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2015 को क्रय किया है। इस प्रकार विवादित भूमि में प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के हित निहित हैं। रैस्पो0 द्वारा मूल वाद में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। इसलिये अपूर्णनीय क्षति भी अपीलाण्ट के पक्ष में बखूबी साबित होती है। लिहाजा हम अपीलाधीन आदेश का समर्थन करना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 24.05.2017 अपीलार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बरान 538/6.06 के 1/12 हिस्सा एवं 452/4.02, 568/2.00 के 1/6 हिस्सा की हद तक निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official